न्यायालयः— उन्नीसवें जिला न्यायाधीश, इंदौर, म0प्र0

EX AB No. 684-2026

मे. यश साडीज प्रो. यश गांधी, ...डिक्रीधारी

विरुद्ध

मे. श्रीकृष्णा साड़ी सेंटर मालिक, ...निर्णीतऋणी

———————————————————————

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13.05.2026

डिक्रीधारी द्वारा श्री नीरज नीमा अधिवक्ता।

प्रकरण अंतरण पर तर्क हेतु नियत है।

सुना गया।

डिक्रीधारी की ओर से श्री नीरज नीमा अधिवक्ता ने अपना अधिवक्तापत्र प्रस्तुत करते हुए यह निष्पादन प्रकरण पारित आर्बिट्रेशन अवार्ड के संबंध में आदेश 21 नियम 11 सीपीसी के तहत निर्णीतऋर्णी से राशि वसूली बाबत् प्रस्तुत किया है।

साथ ही डिक्रीधारी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत आदेश 21 नियम 6 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिनांक 25.02.2026 को अवार्ड पारित कर निर्णीतऋणी को अवार्ड राशि अदा करने हेतु एक माह का समय दिया गया था, निर्णीतऋणी द्वारा आज दिनांक तक अवार्ड राशि मय ब्याज सहित अदा नहीं की गई। प्रकरण अभी प्रारंभिक अवस्था पर है, निर्णीतऋणी की चल व अचल संपत्ति एवं निवास स्थान व व्यापार व्यवसाय जिला न्यायालय उज्जैन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने से प्रकरण को जिला न्यायालय, उज्जैन के क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया है।

सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। डिक्रीधारी द्वारा यह निष्पादन प्रकरण आर्बिट्रेशन प्रकरण क्रमांक 55/24—25 में पारित अवार्ड दिनांक 25.02.2026 से उद्भूत होकर 33,823/— रूपए मय ब्याज, बजवारी व दावा खर्च की राशि की वसूली हेतु निर्णीत ऋणी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। चूंकि निर्णीतऋणी कंपनी का मूल पता जितेंद्र टी.वी.एस. शोरूम के समाने, चंद्रावतीगंज, उज्जैन होना व्यक्त किया गया है। स्वाभाविक रूप से निर्णीतऋणी समस्त चल अचल संपत्ति भी उक्त स्थान पर होगी, ऐसी स्थिति में अवार्ड के सुविधापूर्वक एवं

न्यायहित में निष्पादन हेतु उक्त स्थान के न्यायालय को अंतरित किया जाना उचित होगा।

इस संबंध में धारा 39 सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है।

उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत एवं आदेश 21 नियम 6 सीपीसी के नियमानुसार आवेदन स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण में प्रस्तुत अवार्ड की प्रति एवं उक्त नियम के तहत इस आशय का प्रमाण पत्र कि अवार्ड की तुष्टि डिक्रीदारी ने अभी प्राप्त नहीं किया है और इस आदेश की प्रति सहित संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, महोदय, उज्जैन, म0प्र0 को प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(श्रीमती सोनल पटेल)
उन्नीसवें जिला न्यायाधीश,
इंदौर,म0प्र0

SONAL PATEL
Digitally signed by SONAL PATEL
Date: 2026.05.15 17:28:59 +0530